संख्या-46/2017/716/26-3-2017-4(97)/93

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः31 मार्च, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु जनपदों द्वारा टी0आर0-27 से आहरित धनराशि के समायोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1944/स0क0/विकास/अत्याचार-उत्पीड़न(3)/2016-17 दिनांक-20.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु जनपदों द्वारा टी0आर0-27 से आहरित धनराशि के समायोजन हेतु लेखाशीर्षक-2225-01-789-01-11-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रूपया-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष की विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-00-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-11-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के050/रा0 50-के0$रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-46/2017/716/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

5- राज्य योजना आयोग अनु0- 1/2, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2016-17

अनुदान संख्या-83- समाज कल्याण

(रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण पश्चात अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-01-789-13-00-42 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 13-विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण 00- 42-अन्य व्यय	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2225-01-789-01-11-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 11-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के. 50/रा.50-के+रा.) 20-सहायताअनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	4500.00	4700.00	200.00	200.00	4700.
योग	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00		4500.00	4700.00	200.00	200.00	4700.

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क-आवश्यकता के अनुसार बजत है।

2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्न कारणों से है:- क-मानक मद में राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-799/ई-3- /दस-2017 दिनांक- 31 मार्च, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

पृ0संख्या- 46 /2017/716 /(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।